



कायालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला मुंगेली (छ ग)

कलेक्टर के पीछे ग्राम चमारी, मुंगेली (छ ग) फोन नं 9827190253 E mail: ddvsmung.cg@nic.in

क्रमांक 868 / प चि / डी एम एफ-संविदा / 2023-24 /

मुंगेली, दिनांक 18 जुलाई 2023

सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला मुंगेली अंतर्गत पशु चिकित्सा संस्थाओं व स्थापित गौठानों में पशु चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के रिक्त पदों पर स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष हेतु कलेक्टर मुंगेली द्वारा अनुमोदित जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को निश्चित एकमुश्त मानदेय ₹ 18420- अठारह हजार चार सौ बीस मात्र पर संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता **वेटेरिनरी पालीटेक्निक (डिप्लोमा इन एनीमल हस्बैण्डरी)** उत्तीर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। छ ग शासन, पशुधन विकास विभाग की अनुमति से संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं छत्तीसगढ़ द्वारा स्थाई नियुक्ति किए जाने के पश्चात जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत कार्यरत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को जिले के अन्य रिक्त संस्था में पदस्थ किया जावेगा। इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली (छ ग) से कार्यालयीन समयावधि में सायं 5.00 बजे तक विज्ञापित पद के विरुद्ध चयन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं या राष्ट्रीय सूचना केन्द्र मुंगेली के वेबसाइट www.mungeli.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर वांछित शैक्षणिक व अन्य आवश्यक दस्तावेजों के स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ दिनांक 18 अगस्त 2023 तक पंजीकृत डाक से या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली में सायं 5.00 बजे तक जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जावेंगे। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है -

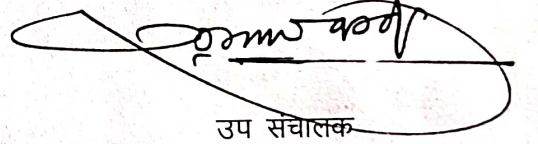
पदनाम	प्रावधानित मद	एकमुश्त मानदेय राशि	रिक्त पद संख्या	वर्गवार रिक्तियां					
				वर्ग	अनारक्षित	अपिव	अजजा	अजा	योग
सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	डी एम एफ	₹18420- अठारह हजार चार सौ बीस प्रतिमाह एकमुश्त (कलेक्टर द्वारा निर्धारित)	08	महिला	02	-	-	-	02
				दिव्यांग	-	-	-	-	-
				मुक्त	03	01	00	02	06
				कुल	05	01	00	02	08

सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवश्यक सेवा शर्तें :-

01. सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद के चयन हेतु निर्धारित योग्यता व मापदण्डों को पूर्ण करना आवश्यक होगा।
02. आवेदक को दाऊ वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्व विद्यालय दुर्ग से मान्यता प्राप्त किसी भी पशु चिकित्सा पालीटेक्निक संस्थान से विज्ञापित तिथि को **एनीमल हस्बैण्डरी** में कम से कम पचास प्रतिशत अंको से डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
03. आवेदक को संविदा नियोक्ता की सभी सेवा शर्तों को मानना अनिवार्य होगा।
04. यह संविदा नियुक्ति जिला खनिज संस्थान न्यास मुंगेली मद से की जा रही है। अतः स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष हेतु या जिले के अंतर्गत रिक्त पदों पर छ ग शासन पशुधन विभाग की अनुमति से संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं छत्तीसगढ़, द्वारा स्थाई नियुक्ति किए जाने के उपरान्त जिला खनिज संस्थान न्यास मद से संविदा पर नियुक्त सहायक पशु चिकित्सा

- क्षेत्र अधिकारी को जिले की अन्य रिक्त पदों पर समायोजित किया जावेगा। कोई भी चयनित उम्मीदवार निरन्तरता हेतु दावा नहीं कर सकेगा।
05. सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह मानदेय का भुगतान एकमुश्त किया जावेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के सेवा भत्ते या सुविधाएं देय नहीं होगी।
 06. सेवा के दौरान एकमुश्त देय मानदेय से जी पी एफ / सी पी एस / जी आई एस की कटौती नहीं की जावेगी।
 07. जिला खनिज संस्थान न्यास मुंगेली मद से वित्तपोषण किए जाने पर एक वर्ष पश्चात यदि रिक्त पदों की निरन्तरता रहती है और जिला खनिज संस्थान न्यास मुंगेली मद से राशि उपलब्ध कराई जाती है तो कलेक्टर मुंगेली की अनुमति से व अनुमोदन प्राप्त कर पदों की भर्ती / निरन्तरता की जा सकेगी।
 08. आवेदक द्वारा आवेदन करने मात्र से चयन सुनिश्चित नहीं होगा अपितु चयन समिति द्वारा आवेदक के द्वारा पूर्ण किए गए शर्तों के साथ- साथ आवेदन पत्र के साथ सम्मिलित आवश्यक शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त लिए गए निर्णय के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा। चयनित उम्मीदवार को पदग्रहण के समय सम्पूर्ण दस्तावेजों की मूल प्रति जांच हेतु प्रस्तुत करनी होगी। प्रमाण पत्र व अन्य वांछित दस्तावेज सही पाए जाने के पश्चात ही पदग्रहण कराया जाएगा।
 09. आवेदक की आयु दिनांक 01-01-2023 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छ ग शासन द्वारा लागू आरक्षण नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जावेगी।
 10. भर्ती प्रक्रिया के दौरान जिला प्रशासन द्वारा नियम व शर्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन किए जाने पर आवेदकों को मानना अनिवार्य होगा।
 11. प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या में वृद्धि / कमी या निरस्त किए जाने का सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर, जिला मुंगेली के पास सुरक्षित होगा।
 12. भर्ती के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद या समस्या होने पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर मुंगेली के पास होगा जो आवेदकों को मान्य करना बंधनकारी होगा।
 13. आवेदन कर्ताओं को निर्धारित आवेदन पत्र में साफ सुथरे शब्दों में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रपत्र को पहले ठीक से पढ़ लें व समझने के उपरांत जानकारी भरें। भरी जाने वाली समस्त जानकारी स्पष्ट व पठनीय हों। किसी भी प्रकार की काट-छांट अवांछनीय है। इससे आवेदकों का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
 14. आवेदक आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो चस्पा करें। फोटो व अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां स्व प्रमाणित कर संलग्न करें।
 15. शासकीय / अर्धशासकीय / निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को उनके नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
 16. सेवा प्रदाता पदों से संबंधित काउन्सिलिंग में जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जीवित पंजीयन नहीं होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
 17. आवेदक को वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता हेतु अतिरिक्त बोनस अंक नहीं प्रदाय किए जाएंगे।
 18. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में गैर न्यायिक 50 ₹ के स्टाम्प में एक वर्ष की सेवा हेतु नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 19. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पत्र व्यवहार के लिए स्वयं के पते लिखे दो लिफाफे जिसमें पांच रुपए के टिकिट लगे हों चस्पा करना होगा ताकि उनका चयन होने पर उनके पते पर चयन संबंधी सूचना दी जा सके।
 20. चयन संबंधी सूचना दिए जाने हेतु मोबाइल व्हाट्स एप नम्बर / ई-मेल की भी जानकारी देना अनिवार्य है।
 21. भर्ती की समस्त जानकारी जिला मुंगेली की एन आई सी वेब साइट www.mungeli.gov.in पर अपलोड की जावेगी। इसके अतिरिक्त जिला कार्यालय के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जावेगा।
 22. चयनोंपरांत आवेदक को पन्द्रह दिन के भीतर कर्तव्य पर उपस्थित होना होगा।
 23. नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा परीक्षण में अनुपयुक्त पाए गए चयनित अभ्यर्थी को उपस्थित नहीं कराया जाएगा।

24. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् भी अनधिकृत रूप से अनुपस्थित होने पर, हड़ताल / धरना करने पर नोटिस देकर मानदेय पर अस्थाई नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
25. यदि कोई चयनित अभ्यर्थी सेवा में उपस्थित होने के पश्चात् सेवा से त्याग पत्र देना चाहता हो तो उसे एक माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा अन्यथा एक माह का वेतन जमा करना अनिवार्य होगा।
26. एक माह से अधिक अवधि तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने पर सेवाएं स्वयमेव समाप्त मानी जाएंगी।
27. नियुक्ति अवधि में किसी भी प्रकार की धरना / प्रदर्शन / हड़ताल की अनुमति नहीं होगी। धरना / प्रदर्शन / हड़ताल करने पर सेवा समाप्त करने का अधिकार कलेक्टर मुंगेली को होगा। अवज्ञा करने पर तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दिया जाएगा।
28. आवेदन की तिथि के पश्चात् चयन समिति द्वारा परीक्षण कर अनंतिम रूप से चयन सूची तैयार की जावेगी। जिसमें पात्र / अपात्र की सूची जारी होने पर एक सप्ताह के भीतर दावा / आपत्ति की जा सकेगी। जिसमें दावा / आपत्ति के अंतिम दिन तक दस्तावेज जमा किए जा सकेंगे।
29. अंतिम चयन सूची जारी करने के साथ शेष अभ्यर्थी की प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी जिसकी वैधता केवल 01 वर्ष की होगी। जिसके आधार पर निर्धारित समयावधि में कार्यभार पर उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों / स्वीकृत नए पद अथवा त्याग पत्र या किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतीक्षा सूची से वर्गवार वरीयता क्रम से भरा जा सकेगा।
30. प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या घटाई / बढ़ाई अथवा भर्ती निरस्त की जा सकती है। चयन का पूरा अधिकार समिति को होगा।
31. इस पद पर संविदा नियुक्ति हेतु वित्तपोषण जिला खनिज संस्थान न्यास मुंगेली के मद से प्राप्त राशि से किया जावेगा। अतः जिला खनिज न्यास संस्थान मुंगेली के अंतर्गत आने वाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जावेगी।
32. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज निर्धारित क्रम से संलग्न किए जावें व ऊपरी दाएं किनारे पर क्रम संख्या अंकित कर टैग से नस्तीबद्ध किये जावें। (1. निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूपेण भरा आवेदन पत्र 2. हाई स्कूल की अंक सूची / प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो की स्व प्रमाणित छायाप्रति 3. अजा / अजजा संवर्ग का जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति 4. निवास प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति 5. शैक्षणिक योग्यता की प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति 6. एक वर्ष की सेवा हेतु संलग्न प्रारूप में गैर न्यायिक 50 ₹ के स्टाम्प में नोटराइज्ड शपथ पत्र, क्रम से नस्तीबद्ध किए जाएं)।



उप संचालक

पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला -मुंगेली (छ ग)

सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

उप संचालक
पशु चिकित्सा सेवाएं
जिला - मुंगेली (छ ग)

यहां फोटो चस्पाकर
स्व प्रमाणित करें

महोदय,

आपका विज्ञापन क्रमांक दिनांक जुलाई 2023 में विज्ञापित सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के लिए मैं अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर रहा / रही हूँ।

01. आवेदक / आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) _____
आवेदक / आवेदिका का पूरा नाम (अंग्रेजी Capital में) _____
02. पिता / पति का नाम _____
03. माता का नाम _____
04. जन्मतिथि (अंको में) _____
(शब्दों में) _____
05. जाति (सामान्य / अपिव / अजजा / अजा) _____
(आरक्षित वर्ग के होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी
स्थायी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
06. लिंग (पुरुष / महिला / अन्य) _____
07. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी है या नहीं ? _____
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें)
08. स्थाई निवास का पूर्ण पता _____

09. वर्तमान पत्र व्यवहार का पूर्ण पता _____

10. ई-मेल _____
11. व्हाट्स एप नम्बर _____
12. दूरभाष / मोबाइल नम्बर _____
13. शैक्षणिक योग्यता - _____

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्व विद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	श्रेणी	प्रतिशत
1	हाई स्कूल सर्टीफिकेट					
2	हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट					

3	बी एस-सी					
4	डिप्लोमा इन एनीमल हस्बैण्डरी					
5	एम एस-सी					
6	अन्य					

14. कार्य अनुभव का विवरण-

क्र	संस्था का नाम	संस्था का प्रकार (शासकीय / सार्वजनिक वित्तीय सहायता प्राप्त संस्था)	पदनाम	कार्य अवधि (अनुभव के कुल पूर्ण वर्ष)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

14. संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची व संख्या -

1. 10वीं व 12वीं की अंक सूची
2. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी सेमेस्टर / वर्षों की)
3. स्थाई जाति प्रमाण पत्र
4. स्थाई निवास प्रमाण पत्र
5. अनुभव प्रमाण पत्र (नोटराइज्ड)
6. निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (पचास रुपए के नान ज्युडीसियल स्टाम्प शीट में)
7. संबंधित कौंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र
9. अन्य प्रमाण पत्र

आवेदक के हस्ताक्षर

-: घोषणा पत्र :-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारीयां पूर्णतः सत्य हैं । मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख यदि असत्य / कूटरचित / क्षद्ग अथवा फर्जी पाया जाता है तो मेरे आवेदन को निरस्त करने का समस्त अधिकार चयन समिति का होगा ।

स्थान - मुंगेली

दिनांक- / / 2023

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ -पत्र

मैं (शपथकर्ता)-----पिता का नाम / पति का नाम श्री ----- उम्र -----वर्ष
निवासी ग्राम -----पत्रालय-----जिला -----(छ ग) एतद् द्वारा निम्नानुसार शपथपूर्वक
अभिकथन करता हूँ कि -

01. मैने जिला मुंगेली के लिए विज्ञापित सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पद के लिए संविदा नियुक्ति की शर्तों को भलीभांति पढ़ लिया है तथा समझ लिया है ।
02. उक्त विज्ञापित सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पद के लिए संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, जिसमें मेरी सेवाएं निर्धारित सेवा शर्तों के तहत निर्धारित समय सीमा के लिए हैं तथा एक वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् स्वयमेव समाप्त हो जावेंगी , जो मुझे मान्य है । मैं इन्ही सेवा शर्तों के अधीन संविदा नियुक्ति में एकमुश्त मानदेय रु 18420-अठारह हजार चार सौ बीस प्रतिमाह पर कार्य करने को तैयार हूँ ।
03. यदि छ ग शासन द्वारा संविदा नियुक्ति अवधि में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की स्थाई नियुक्ति किए जाने पर मेरी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं तो मैं कोई दावा आपत्ति नहीं करूंगा न ही न्यायालय जाने का हकदार रहूंगा ।
04. चयन व सेवा अवधि के दौरान किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र (अंक सूची / जाति / निवास आदि) झूठी / फर्जी पाई जाती है या प्रमाण पत्र के पुष्टि झूठी / फर्जी साबित होती है तो मेरी सेवाएं स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी जो मुझे मान्य होगा अथवा मेरा दावा स्वयमेव निरस्त माना जावेगा और नियोक्ता किसी भी कार्यवाही के लिए स्वतन्त्र होगा ।
05. मेरी संविदा नियुक्ति के पश्चात नियुक्त अवधि में मैं किसी भी धरना / हड़ताल / प्रदर्शन में भाग नहीं लूंगा । यदि मैं ऐसा करता पाया जाता हूँ तो नियोक्ता अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए स्वतन्त्र होंगे व मेरी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देने की कार्यवाही के लिए सक्षम रहेंगे ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

-: सत्यापन :-

मैं (शपथकर्ता)-----पिता का नाम / पति का नाम श्री ----- उम्र -----
-----वर्ष निवासी ग्राम -----पत्रालय-----जिला -----(छ ग) उपरोक्त शपथकर्ता
यह सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कंडिका 01 से 05 तक लिखी गई सभी बातें मेरे निजी ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य हैं । आज दिनांक / / 2023 को स्थान-----में पढ़कर व देखकर पूर्णरूपेण संतुष्ट होकर हस्ताक्षर किया ।

दिनांक -----

दो गवाहों के हस्ताक्षर-

हस्ताक्षर शपथकर्ता

01.

02.